BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024
&
ORIGINAL APPLICATION NO. 267/2024

IN THE MATTER OF:

KHUSBU SINGH ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ....RESPONDENT

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit of District Magistrate Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) in compliance of order dated 24.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	**Annexure – R 1** A copy of the Forest No Objection Certificate Issued by D.F.O. Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) dated 18.11.2017	
3.	**Annexure – R 2** A copy of the order of cancellation of Forest Clearance granted for the village- Kuldikala Tari.	

Scanned with OKEN Scanner

4.	**Annexure – R 3** A copy of the letter of cancellation issued by the then District Magistrate.	
5.	**Annexure – R 4 (Colly.)** A copy of the cancellation order, cancelling the ordinary sand mining leases for both the villages	

Ankit Verma **FILED BY:**

(ANKIT VERMA)
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST
NEW DELHI-110013.
MOB :- 09990804440
ankit.scngtup@gmail.com

Dated: 18 . 11 .2024

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

Cancelled

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AA 604426

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024
&
ORIGINAL APPLICATION NO. 267/2024

IN THE MATTER OF:

KHUSBU SINGH ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ....RESPONDENT

NOTARY PUBLIC GOVT. OF U.P.

Scanned with OKEN Scanner

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024
&
ORIGINAL APPLICATION NO. 267/2024

IN THE MATTER OF:

KHUSBU SINGH .... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. .... RESPONDENT

AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE SANT RAVIDAS NAGAR (BHADOHI) IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 24.10.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I VISHAL SINGH aged 51 years, posted as District Magistrate, Sant Ravidas Nagar (Bhadohi), Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am duly authorized to file the present affidavit. The deponent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal, vide order dated 24.10.2024, was pleased to issue the following directions:

"1.We do not find any explanation from record from responses submitted by concerned District Magistrates and UPPCB as to how in what circumstances mining permissions were granted or consent/clearances were issued for carrying out mining activities in such prohibited areas.

NOTARY PUBLIC Somaru Ram Agr. S.R.N. Bhadohi Gyanpur Regd.No. 30(7) GOVT.OF UP

Scanned with OKEN Scanner

2. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB and SEIAA, UP to explain as to how and is what circumstances, consent and clearances were issued for permitting mining activities in prohibited areas and that too in violation of directions issued by Supreme Court. Similar reply shall also be submitted by concerned District Magistrates, Sant Ravidas Nagar (Bhadhoi), Mirzapur and Prayagraj.

3. If no valid justification is submitted, Member Secretary, UPPCB, Member Secretary, SEIAA, District Magistrate, Sant Rvidas Nagar (Bhadhoi), District Magistrate, Sant Mirzapur and District Magistrate, Prayagraj shall remain present before Tribunal on the next date.

4. List for further consideration on 20.11.2024."

3. That the present affidavit is being filedin compliance of the order dated 24.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

4. That the deponent is posted as District Magistrate, Sant Ravidas Nagar (Bhadohi), since Dated 28.02.2024

5. That a Government Order No. 2168/86-2019-57(S.)/2017 TC-1, was issued by the Geology and Mining Department, Government of Uttar Pradesh, in accordance with the instructions dated 09.10.2019 which were in consonance with the provisions of Chapter 4 of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 1963. The said G.O., permitted the e-tendering of vacant mining areas at river Ganga for ordinary sand located in District Bhadohi. Pursuant to the said government order, e - tender was advertised for 3 vacant areas namely - Village Kudikala Tari (Gata No. 59), Village Ibrahimpur (Gata No. 103), and Village Purva (Gata No. 30).

Scanned with OKEN Scanner

6. That prior to advertising the three vacant mining areas in District Bhadohi, the Divisional Forest Officer, Bhadohi Forest Division, issued Forest No Objection Certificate No. 1182/Gyanpur/33-1 dated 18.11.2017, in accordance of which, then District Magistrate facilitated the necessary proceedings, in conducting the e-tender and e-auction process for the aforementioned vacant mining areas, under the supervision of the Government of India, ensuring compliance with the prescribed legal framework. A copy of the Forest No Objection Certificate dated 18.11.2017 is being annexed herewith as **Annexure- R 1.**

7. That pursuant to Notification No. 346/81-4-2020-823-2008 TC, issued by the Department of Environment, Forest, and Climate Change, UP on 17.03.2020, the Mining Officer, Bhadohi, addressed a letter to the Divisional Forest Officer, Bhadohi Forest Division, on 30.07.2021, wherein he sought essential details regarding the boundaries, standards, and distances pertaining to the declaration of the Turtle Wildlife Sanctuary in Ganga River, spanning the Districts of Bhadohi and Prayagraj.

8. That the Divisional Forest Officer, Bhadohi Forest Division vide its Letter No. 344/Gyanpur/26-1, dated 13.08.2021,responded by providing information on the earlier issued forest clearances and furtherstated that the matter had been investigated by the Range Forest Officer, Aurai, who submitted the following findings:

   A. The GPS locations mentioned in the notification declaring the Turtle Wildlife Sanctuary were compared with the GPS coordinates of the identified mining areas using Google Maps.

B. Gata No. 59, Village Kudikala Tari, Tehsil Gyanpur, District Bhadohi, measuring 5.00 acres (coordinates: N 25°12′57.6″, E 82°12′3.5″), falls within the boundaries of the Turtle Wildlife Sanctuary.

C. Gata No. 103, Village Ibrahimpur, Tehsil Gyanpur, District Bhadohi, measuring 10.00 acres (coordinates: N 25°13′17.5″, E 82°20′56.6″), is located at a distance of 17.1 kilometers from the Turtle Wildlife Sanctuary area at Village Baripur Uparwar, Tehsil Gyanpur, District Bhadohi. This area does not fall within the Turtle Wildlife Sanctuary.

D. Gata No. 30, Village Purva, Tehsil Gyanpur, District Bhadohi, measuring 10.00 acres (coordinates: N 25°13′17.13″, E 82°20′43.51″), is situated at a distance of 16.3 kilometers from the Turtle Wildlife Sanctuary area at Village Baripur Uparwar, Tehsil Gyanpur, District Bhadohi. However, this location forms a part of the Turtle Wildlife Sanctuary but does not come under the wildlife sanctuary.

9. That based on the investigation report submitted by the Range Forest Officer, it was determined that the forest clearance previously granted in 2017 for the villages of Kudikala Tari, Ibrahimpur, and Purva under Tehsil Gyanpur is partially revoked. However, the forest clearance for the village of Kudikala Tari, which falls within the Turtle Wildlife Sanctuary, stands cancelled. A copy of the order of cancellation of Forest Clearance granted for the village-Kuldikala Tari is being annexed herewith as **Annexure- R 2**.

10. That further, following the cancellation of the forest clearance for the village of Kudikala Tari by the Divisional Forest Officer, Bhadohi, Forest Division, Bhadohi out of the two designated ordinary sand mining areas in the villages of Kudikala Tari and Ibrahimpur, which were previously

NOTARY PUBLIC

announced for e-tender-cum-e-auction by the District Magistrate, the e-tender-cum-e-auction process for the village of Kudikala Tari was annulled.

11. That pursuant to the notification issued by the Government of Uttar Pradesh, Environment, Forest, and Climate Change, vide Notification No. 346/81-4-2020-623-2008 TC, Lucknow, dated 17.03.2020, the previously granted forest clearance for the villages of Ibrahimpur and Purwa, as issued by the Divisional Forest Officer, Bhadohi Forest Division, remains valid and unaffected.

12. That in compliance with letter No. 2018/15-1 dated 14.12.2023 issued by the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, and in adherence to the aforementioned order of the Hon'ble Supreme Court and the referenced Government Order, the Mining and transportation of ordinary sand are prohibited within the 30 km stretch along both banks of the river Ganga, falling under the Turtle Wildlife Sanctuary in Tehsil Gyanpur, District- Bhadohi, within a minimum distance of 10 km from its boundary (designated Eco-Sensitive Zone).

13. That accordingly, all sand mining areas within this restricted zone, which were previously advertised, approved, or under operation, were cancelled in compliance with the letter issued by the then District Magistrate. Hence the mining approval, vide letter No. 303/Mining Clerk/2024, dated 03.01.2024, was also subsequently annulled. A copy of the letter of cancellation issued by the then District Magistrate is being annexed herewith as **Annexure- R 3.**

NOTARY PUBLIC
Somaru Ram Adv.
S.R.N. Bhadohi
Gyanpur
Regd.No. 30(7)
GOVT.OF UP

Scanned with OKEN Scanner

14. That in connection with the approval of vacant mining leases, pursuant to the notification issued by the Government of Uttar Pradesh, Environment, Forest, and Climate Change Section No. 346/81-4-2020-823-2008 TC, Lucknow, dated 17.03.2020, the then Mines Officer, Bhadohi, addressed a letter to the Divisional Forest Officer, Bhadohi Forest Division. The letter sought essential information regarding the boundaries, standards, and fixed distances related to the Turtle Wildlife Sanctuary declared in the Ganga River within the districts of Bhadohi and Prayagraj.

15. That in response, the Divisional Forest Officer, Bhadohi Forest Division, through letter No. 344/Gyanpur/26-1, dated 13.08.2021, informed that the matter had been investigated by the Range Forest Officer, Aurai. Based on the investigation report submitted by the Range Forest Officer, Aurai, it was concluded that out of the forest clearances issued in 2017 for the villages Kudikala Tari, Ibrahimpur, and Purva under Tehsil Gyanpur, the forest clearance for the village Kudikala Tari, which falls within the Turtle Wildlife Sanctuary, stood cancelled. Consequently, the then District Magistrate undertook action to grant a mining lease for a duration of five years through e-tender-cum-e-auction for the villages of Ibrahimpur and Purva under Tehsil Gyanpur.

16. That in compliance with letter No. 2018/15 dated 14.12.2023 issued by the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, and letter No. 303/Mining Clerk/2024 dated 03.01.2024 issued from the then District Magistrate, the ordinary sand mining leases for both villages, Ibrahimpur and Purva, were subsequently cancelled. A copy of the cancellation order, cancelling the ordinary sand mining leases for both the villages is being collectively annexed herewith as **Annexure- R 4 (Colly.)**

NOTARY PUBLIC
Somaru Ram Adv.
S.R.N. Bhadohi
Gyanpur
Regd.No. 30(7)
GOVT.OF UP

Scanned with OKEN Scanner

17. That the deponent respectfully undertakes before this Hon'ble Tribunal to fully comply with all the directions issued by this Hon'ble Tribunal and affirms his duty to ensure that environmental safeguards are adhered to in both letter and spirit.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at………………….., on …………………. that the contents of the paras 1 to 16of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

नाम ……
पिता का नाम ……
पता ……
……………….
शपथकर्ता मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना हस्ताक्षर बनाया
दिनांक …18/11/24

NOTARY PUBLIC GOVT. OF UP

SOMARURAM
ADVOCATE

18/11/2024

सलंग्नक- 07

607

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही

पत्रांक- /ज्ञानपुर / , दिनांक, ज्ञानपुर, नवम्बर, 2017।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
जनपद-भदोही।

विषय- **वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।**

सन्दर्भ- आपका पत्रांक-119 / खनन / 2017, दिनॉक 17-11-2017।

अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक- 2220 / ज्ञानपुर / 33-1, दिनांक 02.05.2017 तथा पत्रांक-2048 / ज्ञानपुर / 33-1, दिनांक 16.05.2017 द्वारा शासनादेश संख्या-715 / 86-2017-57 (स) / 2017 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ दिनांक 22.04.2017 के अनुपालन में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से अल्प अवधि के लिए खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते हुए निम्न प्रकार वन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए गए थे ।

क0सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	खनिज का नाम
1	ज्ञानपुर	कुड़ीकला तरी	59	05.00	साधारण बालू
2	ज्ञानपुर	इब्राहिमपुर	103	10.00	साधारण बालू
3	ज्ञानपुर	पूरवा	30	10.00	साधारण बालू

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा तहसील ज्ञानपुर के ग्राम कुड़ीकला तरी, इब्राहिमपुर व पूर्वा में गंगा नदी साधारण बालू के रिक्त क्षेत्रों पर शासनादेश संख्या-1875 / 86-2017-57(7) / 2017 टी0सी0आई0 दिनॉक 14-08-2017 के अनुपालन में ई-निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से 05 वर्ष की अवधि हेतु उक्त क्षेत्रों की खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु वन अनापत्ति प्रमाण पत्र की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के आधार पर गंगा नदी साधारण बालू के रिक्त क्षेत्रों पर शासनादेश संख्या-1875 / 86-2017-57(7) / 2017 टी0सी0आई0 दिनॉक 14-08-2017 के अनुपालन में ई-निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से 05 वर्ष की अवधि के लिए खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु निम्न प्रकार वन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है ।

क0सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
1	ज्ञानपुर	कुड़ीकला तरी	59	05.00
2	ज्ञानपुर	इब्राहिमपुर	103	10.00
3	ज्ञानपुर	पूरवा	30	10.00

उक्त क्षेत्र यदि भविष्य में आरक्षित वन क्षेत्र घोषित होता है तो अनापत्ति तद्नुसार निष्प्रभावी हो जायेगा।

(डी0के0श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

संख्या- (1) / समदिनांक।
प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. खान निरीक्षक, भदोही द्वारा खान अधिकारी, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, औराई।

(डी0के0श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

NOTARY PUBLIC GOVT. UP
Somaru Ram Adv.
S.R.N. Bhadohi
Gyanpur
Regd. No. 30...

Scanned with OKEN Scanner

(संलग्नक-2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही।

पत्रांक– /ज्ञानपुर/26–1, दिनांक, ज्ञानपुर, अगस्त, 13 2021।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
भदोही।

विषय– **पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति के संबंध में।**

सन्दर्भ– खान अधिकारी, भदोही, कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही का पत्रांक– 344/खनन लिपिक/2021, दि0 30.7.2021।

महोदय,

खान अधिकारी, भदोही ने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि " उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के निर्गत शासनादेश संख्या–23168/86–2019–57 (सा0)/2017 टी0सी0 1 दिनांक 09.10.2019 के अनुपालन में साधार बालू के तीन खनन क्षेत्र चिन्हित है जिसमें से एक खनन क्षेत्र ग्राम पुरावा स्वीकृत एवं संचालित है एवं दो खनन क्षेत्र ग्राम कूड़ीकला तरी एवं ग्राम इब्राहिमपुर रिक्त है। जिसको 5 वर्ष की अवधि के लिए ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति करा दी गयी है।" खान अधिकारी, भदोही ने उक्त पत्र के माध्यम से गंगा नदी में जनपद भदोही और प्रयागराज के मध्य कछुआ सेंचूरी घोषित किया गया है जिसकी बॉउण्ड्री, मानक व निश्चित दूरी के संबंध आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी, औराई से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अवगत कराया है कि " उक्त खनन क्षेत्र जलमग्न होने के कारण कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किये गये अधिसूचना में उल्लिखित जी0पी0एस0 लोकेशन एवं खनन क्षेत्रों के प्राप्त जी0पी0एस0 लोकेशन को गूगल मैप द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है) तथा पाया गया कि ग्राम–कुड़ीकला तरी, तहसील–ज्ञानपुर जिला–भदोही का गाटा संख्या–59 क्षेत्रफल में 05.00 एकड़ (N-25°12'57.6" E-82°12'3.5") कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार ग्राम–इब्राहिमपुर, तहसील–ज्ञानपुर जिला–भदोही का गाटा संख्या–103 क्षेत्रफल–10.00 एकड़ (N-25°13'17.5" E-82°20'56.6") कछुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम–बारीपुर उपरवार तहसील–ज्ञानपुर जिला–भदोही से 17.1 कि0मी0 की दूरी पर स्थित हैं, जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आता है, तथा ग्राम–पूरवा तहसील–ज्ञानपुर जिला–भदोही का गाटा संख्या–30 क्षेत्रफल 10.00 एकड़ (N-25°13'17.13" E-82°20'43.51")कछुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम–बारीपुर उपरवार तहसील–ज्ञानपुर जिला–भदोही से 16.3 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आता है।"

इस कार्यालय के पत्रांक–1182/ज्ञानपुर/33–1, दिनांक 18.11.2017 द्वारा तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम–कुड़ीकला तरी, इब्राहिमपुर, पूरवा हेतु वन अनापत्ति निर्गत किया गया था परन्तु उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या–346/81–4–2020–823–2008 टी0सी0 लखनऊ, 17 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत अधिसूचना में ग्राम बारीपुर उपरवार, ज्ञानपुर जनपद भदोही से ग्राम–कोठारी, मेजा, जनपद–प्रयागराज के अन्तग्रत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। गजट संलग्न है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, औराई द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2017 में तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम–कुड़ीकला तरी, इब्राहिमपुर एवं पूरवा हेतु पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति में से ग्राम–कुड़ीकला तरी जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है, की वन अनापत्ति निरस्त की जाती है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

संख्या–344 (1)/समदिनांक।

प्रतिलिपि–खान अधिकारी, भदोही, कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(नीरज कुमार आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

NOTARY PUBLIC

Scanned with OKEN Scanner

(संलग्नक-3,ब/4)

कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही।

(खनिज अनुभाग)

संख्याः 303/खनन लिपिक/2024

दिनांक 03/01/2024

आदेश

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक सं0 2018/15-1 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 संख्या 346/81-4-2020-823/2008 टी०सी० लखनऊ दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1927 की धारा-18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद भदोही, प्रयागराज एवं मीरजापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि०मी० लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

अनूसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मीरजापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनो तटों से सीमा बद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 कि0मी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाए	पूरब(नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम-बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला भदोही की राजस्व सीमा मे- अक्षांश- 25.273769 देशान्तर- 82.287486
	पश्चिम(नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम-कोठरी, मेजा, जिला-प्रयागराज की राजस्व सीमा मे- अक्षांश- 25.215000 देशान्तर- 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30किमी0 लम्बाई में जनपद भदोही के तहसील-ज्ञानपुर के विभिन्न ग्रामों - बहुपुरा उपरवार, बकत उपरवार एन बारीपुर, बारीपुरु उपरवार, भूरी उपरवार, चकिया उपरवार, छेछुआ उपरवार, हरिरामपुर उपरवार, पुरेदुखा, इतहरा उपरवार, कलिक मवैया उपरवार, कुण्डीकला उपरवार, कुण्डी खुर्द उपरवार, लखनपुर भदरान उपरवार, मरहाच उपरवार, मवैयावारा गोती उपरवार, मवैयत वसिंग उपरवार, नारेपर उपरवार, शेरपुर उपरवार, तरही उपरवार, तुलसी कला उपरवार, छेछुतारी, बनकरतारी एवं बारीपुर, मभौरी तारी, मुरौतारी, इतहरा तारी, कलिक मवैया तारी, कुण्डी कला तारी, कुण्डी खुर्द तारी, लखनपुर मदरौं तारी, मवैया थान सिंह तारी, सझरा तारी एवं हरिरामपुर तारी की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

उपरोक्त सन्दर्मित शासनादेशानुसार वन्य जीव (सरंक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-18 बी के तहत जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0 202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी०एन० गोडावर्मन थिरूमलंकपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (सी) में दिनांक 09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश के कम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर कम से कम 01 कि०मी० की दूरी तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन बनाया जाना है जो प्रकिया में है। मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 कि०मी० की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना जायेगा। उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसी सीमा से बाहर कम से कम 10 कि0मी0 की परिधि को (इको सेन्सिटिव जोन) में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किये जाने तथा पूर्व में स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाए।

NOTARY PUBLIC GOVT. OF U.P. Sonalu Ram S.R.N. Bhadohi Gyanpur Regd. No. 30...

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक सं0 2018/15–1 दिनांक 14.12.2023 तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश व सन्दर्भित शासनादेश के अनुपालन में जनपद भदोही के तहसील–ज्ञानपुर के विभिन्न ग्रामों – बहुपुरा उपरवार, बकता उपरवार एन बारीपुर, बारीपुरु उपरवार, भूरी उपरवार, चकिया उपरवार, छेछुआ उपरवार, हरिरामपुर उपरवार, पुरेपुखा, इतहरा उपरवार, कलिक मवैया उपरवार, कुण्डीकला उपरवार, कुण्डी खुर्द उपरवार, लखनपुर भदरान उपरवार, मरहाच उपरवार, मवैयावारा गोती उपरवार, मवैयत वसिंग उपरवार, नारेपर उपरवार, शेरपुर उपरवार, तरही उपरवार, तुलसी कला उपरवार, छेछुतारी, बनकरतारी एवं बारीपुर, भभौरी तारी, भुरौतारी, इतहरा तारी, कलिक मवैया तारी, कुण्डी कला तारी, कुण्डी खुर्द तारी, लखनपुर मदरौ तारी, मवैया थान सिंह तारी, सझरा तारी एवं हरिरामपुर तारी की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है, मैं कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि०मी० लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन/परियहन प्रतिबन्धित करते हुए ऐसे खनन क्षेत्र जो वर्तमान में खनन परिहार हेतु विज्ञापित/स्वीकृत/संचालित है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
भदोही।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ०प्र०, प्रयागराज/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
4. मण्डलायुक्त, विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
6. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि जनपद भदोही में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि०मी० लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन/परिवहन न होने पाये, के दृष्टिगत सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करें।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, वन्य जीव, वन प्रभाग, भदोही को इस निर्देश से प्रेषित कि जनपद भदोही में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि०मी० लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन/परिवहन न हो।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही को इस निर्देश से प्रेषित कि जनपद भदोही में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि०मी० लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 तक (इको संन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन/परिवहन न हो।
9. गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि०मी० लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में आने वाले समस्त खनन पट्टाधारक/संचालक जनपद भदोही।

जिलाधिकारी,
भदोही।

Scanned with OKEN Scanner

(संलग्नक-4)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक- /15-1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 14, 2023।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज, गिर्जापुर एवं भदोही।

विषय:- **जनपद-प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0-346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0, दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन व नाविकों/स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे मत्स्य शिकार को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:- उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 का पत्रांक-502/81-4-2020, दिनांक 23.06.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी प्रतिलिपि है का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 संख्या-346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1927 की धारा-18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद-भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप मे स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधो: प्रवाह)	ग्राम-बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला-भदोही की राजस्व सीमा में:- अक्षांश- 25.273769 देशान्तर- 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम-कोठरी, मेजा, जिला-प्रयागराज की राजस्व सीमा में:- अक्षांश- 25.215000 देशान्तर- 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में जनपद-प्रयागराज के तहसील-मेजा, जनपद-भदोही के तहसील-ज्ञानपुर व जनपद-मिर्जापुर के तहसील-सदर अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्रामों की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

जनपद प्रयागराज- इस जनपद के तहसील-मेजा के विभिन्न ग्रामों-कोठरी, अछोला, चौकठा नरवर, चौकठा उपरहार, कुशमा उपरहार, बभनी हेठार, बेरूका, उमापुर, डेगुरपुर, महेवाखुर्द, महेवाकला, बादपुर कछार, बादपुर उपरहार, बामपुर कछार एवं बामपुर उपरहार की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

जनपद मिर्जापुर- इस जनपद के तहसील-सदर के विभिन्न ग्रामों-मिश्रपुर, नगवासी, बसेवरा कला, खैरा, गोगॉव, बेहरा, देवारी मुर्गारा, कासी सरपाती, भौरूपुर सतलपत्ती, बसेवरा खुर्द, बजता, अर्जीखेरा, चकचेहरा एवं चककौन की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

जनपद भदोही- इस जनपद के तहसील-ज्ञानपुर के विभिन्न ग्रामों-बहुपुरा उपरवार, बकत उपरवार एन बारीपुर, बारीपुरू उपरवार, भूरी उपरवार, चकिया उपरवार, छेछुआ उपरवार, हरिरामपुर उपरवार, पुरेदुखा, इतहरा उपरवार, कलिक मवैया उपरवार, कुण्डीकला उपरवार, कुण्डी खुर्द उपरवार, लखनपुर भदरान उपरवार, मरहाच उपरवार, मवैयावारा गोती उपरवार, मवैयत वरिंग उपरवार, नारेपर उपरवार, शेरपुर उपरवार, तरही उपरवार, तुलसी कला उपरवार, छेछुतारी, बनकरतारी एवं बारीपुर, भभौरी तारी, भुरौतारी, इतहरा तारी, कलिक मवैया तारी, कुण्डी कला तारी, कुण्डी खुर्द तारी, लखनपुर भदरौ तारी, मवैया थान सिंह तारी, सझरा तारी एवं हरिरामपुर तारी की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशानुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–18–बी के तहत जिलाधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा भदोही को सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी0एन0 गोडावर्मन शिरूमलकपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–03.06.2022 के बिन्दु सं0–44 (सी) में दिनांक–09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश के क्रम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर कम से कम 1 किमी की दूरी तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन बनाया जाना है जो प्रक्रिया में है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 किमी की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना जायेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के क्रम में अनुरोध है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश व सन्दर्भित शासनादेश के क्रम मे उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 किमी तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाये तथा पूर्व स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि नव स्थापित कछुआ वन्य जीव विहार में वन्य जीव अधिनियम के प्रावधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न होने पाएं।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या 2018 / समदिनांक।

1. प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ0प्र0, प्रयागराज/मंडलीय मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2. प्रतिलिपिः– मंडलायुक्त प्रयागराज एवं मिर्जापुर।
3. प्रतिलिपिः वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज।
4. प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही एवं मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की अपने जनपद अन्तर्गत गंगा नदी एवं आस–पास के क्षेत्र में खनन अनापत्ति देने से पूर्व वन्य–जीव विहार एवं 10 किमी ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें एवं किसी तरह का उल्लंघन न हो तथा पुराना कोई नदी में बालू खनन पट्टे प्रचलित हों तो उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को ध्यानाकर्षित कर विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. प्रतिलिपिः– जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के अन्तर्गत गंगा नदी एवं आस–पास के क्षेत्र में बालू खनन पट्टा देने से पूर्व कछुआ वन्य जीव विहार एवं 10 किमी का ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें जिससे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न हो।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

NOTARY PUBLIC GORAKHPUR

Scanned with OKEN Scanner